भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2653

17.03.2025 को उत्तर के लिए

जनजातीय क्षेत्रों में पर्यावरण क्षरण

2653. श्रीमती रचना बनर्जी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार किस प्रकार जनजातीय क्षेत्रों में पर्यावरण क्षरण, विशेष रूप से वनों और वन्य जीवों की हानि से निपट रही है तथा पर्यावरण संरक्षण में जनजातीय समुदाय क्या भूमिका निभा रहे हैं;

(ख) जनजातीय समुदायों, विशेष रूप से कृषि, वानिकी और प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर रहने वाले जनजातीय समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) सरकार किस प्रकार जनजातीय समुदायों की भागीदारी को सुनिश्चित कर रही है ताकि उनके जीवनयापन के तरीके की रक्षा के लिए वन संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके;

(घ) खनन, अवसंरचना विकास और औद्योगिक गतिविधियों के कारण वनों की कटाई और जनजातीय आवासों के विनाश को रोकने के लिए क्रियान्वित नीतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार किस प्रकार जनजातीय क्षेत्रों में सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा दे रही है जो आर्थिक विकास को सहायता देते हुए पर्यावरण की रक्षा करती हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में इस बात पर बल दिया गया है कि वनों के भीतर और उनके आसपास रहने वाली जनजातियों और अन्य निर्धन लोगों का जीवन वनों में और उनके आस-पास बना रहे तथा उनको प्राप्त अधिकार और रियायतें पूर्ण रूप से सुरक्षित होनी चाहिए। जनजातीय लोगों और वनों के बीच सहजीवी संबंध को ध्यान में रखते हुए, इस नीति में वनों के संरक्षण, पुनरुद्भव और विकास में जनजातीय समुदायों को गहन रूप से जोड़ने के साथ-साथ वनों में और उनके आस-पास रहने वाले लोगों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने पर भी बल दिया गया है।

इसके अनुसरण में, राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में देश के कुल भूमि क्षेत्र के न्यूनतम एक-तिहाई भाग को वन या वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाने तथा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में दो-तिहाई भाग को ऐसे आच्छादन के अंतर्गत लाने के राष्ट्रीय लक्ष्य की भी परिकल्पना की गई है।

यह मंत्रालय हरित भारत मिशन, वनाग्नि निवारण और प्रबंधन स्कीम, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा), नगर वन योजना (एनवीवाई) तथा तटरेखा पर्यावास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) नामक विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जनजातीय क्षेत्रों सहित देश भर में पौधरोपण कार्यकलाप करने के लिए जून 2024 के दौरान "एक पेड़ मां के नाम" वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया गया था।

संबद्ध मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों नामत: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन, आदि और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की स्कीमों के तहत भी वनीकरण कार्यकलाप किए जाते हैं। बहु-विभागीय प्रयासों के फलस्वरूप देश में वनावरण के संरक्षण और संवर्धन के संबंध में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।

वनों पर निर्भर समुदायों और जनजातियों की आजीविका बढ़ाने सहित वनों की सुरक्षा, उनके संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करके ग्राम स्तरों पर सहभागिता दृष्टिकोणों के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) और ग्राम पारि-विकास समितियों (ईडीसी) की स्थापना की गई है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में ऐसे वन संसाधनों पर वनों में निवास करने वाले जनजातीय समुदायों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता दी गई है, जिन पर ये समुदाय आजीविका, वासस्थल और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निर्भर थे। इस अधिनियम में स्व-खेती और वासस्थल, सामुदायिक अधिकारों के साथ-साथ परंपरागत प्रथागत अधिकारों की मान्यता और संधारणीय उपयोग के लिए किसी सामुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, पुनरुद्भव या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है।

विभिन्न क्षेत्रों में की जाने वाली भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाई, विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों में अंतर्निहित है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) में सभी जलवायु संबंधी कार्रवाइयों के लिए एक व्यापक कार्यढांचे का प्रावधान किया गया है और इसमें सौर ऊर्जा, संवर्धित ऊर्जा दक्षता, संधारणीय पर्यावास, जल, संधारणीय हिमालयी पारि-प्रणालियां, हरित भारत, संधारणीय कृषि, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों के मिशन शामिल हैं। इन सभी मिशनों के तहत जनजातीय समुदायों, विशेष रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि, वानिकी और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहने वाले समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का निराकरण किया जाता है।

वन और वृक्ष संसाधनों की सुरक्षा और उनका प्रबंधन करना प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का उत्तरदायित्व होता है। वन और वृक्ष संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 तथा राज्य वन अधिनियम और नियम सहित विभिन्न विधिक कार्यढांचे मौजूद हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, इन अधिनियमों/नियमों के तहत किए गए उपबंधों के अनुसार वनों और वृक्षों की सुरक्षा के संबंध में उचित कार्रवाई करते हैं।

*****